For personal of C.S.

Land Conversion & its Rates

५१५

संख्या–1573/V–आ0–2006–11(एल0यू0सी0)/05

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

1923
15/10/08

सेवा में,

1– अध्यक्ष/उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
देहरादून/हरिद्वार।

2– अध्यक्ष/सचिव,
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तरांचल।

आवास अनुभाग

देहरादून: दिनांक 10 सितम्बर, 2006

विषय: महायोजना में निम्न भू–उपयोग से उच्च भू–उपयोग परिवर्तन के लिये शुल्क का निर्धारण विषयक शासनादेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1205/V–आ0–2005–11(L.U.C)/2003 दिनांक 12–4–2005 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा महायोजना एवं क्षेत्रीय योजनान्तर्गत भू-उपयोग की अनुमन्यता को एक अधिकार के रूप में न देखकर उत्तरांचल राज्य की भौगोलिक पृष्ठभूमि संवेदनशील पर्यावरण तथा इसके संरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सुनियोजित विकास, राज्य के पर्यटन एवं औद्योगिक विकास के प्रोत्साहनार्थ एवं प्रस्ताव विशेष के तकनीकी परीक्षणोपरान्त उपयुक्त पाये जाने की दशा में भू–उपयोग परिवर्तन की व्यवस्था निर्धारित की गयी थी, उपरोक्त शासनादेश में की गयी व्यवस्थाओं के क्रम में एवं देहरादून विकास प्राधिकरण बोर्ड के प्रस्ताव एवं उत्तरांचल राज्य में सामुदायिक सुविधाओं जैसे–शैक्षणिक संस्थान, शोध संस्थान, अस्पताल इत्यादि व आवासीय योजनाओं, उद्योग, पर्यटन आदि के विकास को बढ़ावा दिये जाने हेतु सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश संख्या–1205/V–आ0–2005–11(L.U.C)/2003 दिनांक 12–4–2005 द्वारा उत्तरांचल राज्य के समस्त विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत महायोजना में भूमि के भू–उपयोग हेतु भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की निर्धारित दरों को नगरीय क्षेत्र एवं वाह्य क्षेत्रों में भू–खण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर निम्नानुसार निर्धारित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है–

(1) 2.0 हैक्टेअर क्षेत्रफल तक — निर्धारित दर का 100 प्रतिशत।

(2) 2.01–6.0 हैक्टेअर क्षेत्रफल तक — निर्धारित दर का 75 प्रतिशत

(3) 6.01 हैक्टेअर क्षेत्रफल के उपरान्त — निर्धारित दर का 50 प्रतिशत

संख्या– /1205/V/आ0–2005–11(एल0यू0सी0)2005

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– अध्यक्ष/उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तरांचल।

2– अध्यक्ष/सचिव,
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तरांचल।

आवास अनुभाग देहरादून:दिनांक 12–4– 2005

विषय – महायोजना में निम्न भू–उपयोग से उच्च–भू उपयोग परिवर्तन के लिए शुल्क का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय शासनादेश संख्या–1858शा0वि0 आ0–2003–135 (आ0)/2005 दिनांक 24 जुलाई 2003 जिसके द्वारा महायोजना एवं क्षेत्रिय योजनान्तर्गत भू–उपयोग परिवर्तन की अनुमन्यता को एक अधिकार के रूप में न देखते हुये इसे उत्तरांचल राज्य की भौगालिक पृष्ठ भूमि संवेदशील पर्यावरण तथा इसके संरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये सुनियोजित विकास राज्य के पर्यटन एवं औद्योगिक विकास के प्रोत्साहनार्थ एवं प्रकरणों विशेष की तकनीकि परीक्षणोपरान्त उपयुक्त पाये जाने की दशा में भू–उपयोग परिवर्तन हेतु व्यवस्था निर्धारित की गई थी। अवगित करते हुये मुझे आपसे से यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश में की गई व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा एवं सम्यक विचारोपरांत तत्कालीक प्रभाव से निम्न व्यवस्था लागू किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते है।

2– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973) अनुकूलन उपान्तरण आदेश–2002 की धारा–41 (1) तथा उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम–1986) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 की धारा–38 (1) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क से सम्बन्धित पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अवकमित करते हुये उत्तरांचल राज्य के समस्त विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत महायोजना में भूमि के भू–उपयोग हेतु शुल्क की दरें निम्न तालिकानुसार निर्धारित की जाती है।

3

संख्या– /1205/V/आ0–2005–11(एल0यू0सी0)2005

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– अध्यक्ष/उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तरांचल।

2– अध्यक्ष/सचिव,
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तरांचल।

आवास अनुभाग देहरादून:दिनांक 12–4–2005

विषय – महायोजना में निम्न भू–उपयोग से उच्च–भू उपयोग परिवर्तन के लिए शुल्क का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय शासनादेश संख्या–1858श0वि0 आ0–2003–135 (आ0)/2005 दिनांक 2[illegible] जुलाई 2003 जिसके द्वारा महायोजना एवं क्षेत्रिय योजनान्तर्गत भू–उपयोग परिवर्तन की अनुमन्यता को एक अधिकार के रूप में न देखते हुये इसे उत्तरांचल राज्य की भौगोलिक पृष्ठ भूमि संवेदनशील पर्यावरण तथा इसके संरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये सुनियोजित विकास राज्य के पर्यटन एवं औद्योगिक विकास के प्रोत्साहनार्थ एवं प्रकरणों विशेष की तकनीकि परीक्षणोपरान्त उपयुक्त पाये जाने की दशा में भू–उपयोग परिवर्तन हेतु व्यवस्था निर्धारित की गई थी। अवगित करते हुए मुझे आपसे से यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश में की गई व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा एवं सम्यक विचारोपरांत तत्कालीक प्रभाव से निम्न व्यवस्था लागू किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते है।

2– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973) अनुकूलन उपान्तरण आदेश–2002 की धारा–41 (1) तथा उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम–1986) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 की धारा–38 (1) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये भू–उपयोग परिर्वतन शुल्क से सम्बन्धित पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अवकमित करते हुये उत्तरांचल राज्य के समस्त विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत महायोजना में भूमि के भू–उपयोग हेतु शुल्क की दरे निम्न तालिकानुसार निर्धारित की जाती है।

4

Annex

भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की दरें भूखण्ड पर सर्किल रेट का प्रतिशत

योजना म उपयोग	अ कृषि एंव उद्यान	ब यातायात	स सामुदायिक सुविधायें		द सूचना प्रौद्योगिकी इकाई/परिसर	य मनोरंजन एंव पर्यटन		र औद्योगिक	ल आवासीय	व कार्यालय	श व्यावसायिक
			1 विश्वविद्यालय	2 अन्य		1 मनोरंजन	2 पर्यटन				
अ–कृषि एंव उद्यान	—	10	10	15	20	10	20	25	50	100	150
ब–यातायात स/टैक्सी/ट्रक अड्डा/ फलिंग स्टेशन	—	—	—	—	x	x	x	x	x	x	x
स–सामुदायिक सुविधायें											
–विश्वविद्यालय	—	x	—	—	x	x	x	x	x	x	x
–अन्य	—	x	—	—	—	—	x	x	x	75	x
द–सूचना प्रौद्योगिकी इकाई/परिसर	—	x	—	—	—	—	—	—	30	50	100
य–मनोरंजन एंव पर्यटन											
– मनोरंजन	—	x	x	x	x	—	x	x	x	x	x
2–पर्यटन	—	—	—	—	—	—	—	x	50	75	150
र–औद्योगिक	—	—	x>15	x>15	—	—	—	—	x	75	125
ल–आवासीय	—	x	x	—	—	—	100	x	—	75	125
य–कार्यालय	—	—	—	—	—	—	x	x	75	—	150
व–व्यावसायिक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

नोटः– (क) X भू–उपयोग परिवर्तिन पूर्णतः प्रतिबन्धित ।

(ख) X> भू–उपयोग परिवर्तन इस परिवर्तन के साथ कि उत्तरांचल शासन के उद्योग विभाग से वांछित अन्नापत्ति प्राप्त पर ।

(ग) – भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क देय नहीं ।

(घ) अ से श तक जैसा की महायोजना भू–उपयोग में प्रदर्शित अनुसार ।

3– उक्त में वर्णित भू–उपयोग शुल्क का निर्धारिण उस क्षेत्र में भूमि मूल्य जो सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा सर्किल रेट का प्रतिशत होगा, को आवेदक द्वारा प्राधिकरण में जमा कराना होगा, जो सम्पूर्ण भू–खण्ड के क्षेत्रफल पर अगणित किया जायेगा।

4– सामुदायिक सुविधाओं के अन्तर्गत उच्च शैक्षिक के स्थान पर स्पष्टता विश्व विद्यालय अंकित किया जाता है, क्योंकि इस प्रयोजन हेतु भूमि 10 हैक्टिर न्यनतम निर्धारित है। इसे अन्य सामुदायिक सुविधाओं से आपेक्षाकृत अत्यधिक भूमि की आवश्यकता को दृष्टिगत रखकर भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क को प्रस्तर–2 में अंकित तालिका प्रारूप में विवरणानुसार निर्धारित किया जाता है।

5– विभिन्न मनोरजन एवं पर्यटन सम्बन्धी क्रियाकलापों के पारस्परिक आनुरूपकता एवं अनुसांगिक प्रवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुये हैल्थ–स्पा, ध्यान, एवं योग केन्द्र एम्यूजमैन्ट पार्क, वाटर पार्क, मेचुरल एवं बाटिनिकल पार्क, जीवउद्यान, वानस्पतिक उद्यान, साइरा एवं एडवेन्चर उद्यान, शैल उद्यान, प्लानेटोरियम, नौकायाना क्लब, मत्य उद्यान, पर्यटक ग्राम, क्लचरल(शिल्पकला विरासत) सेन्ट्रल, मल्टीप्लैक्स, चिलड्रन थियेटर, म्यूजिम जिमखाना/क्लब हास्पिटल, जिमनेजियम, स्वीमिंग पूल, स्कैटिंग रिंग, होटल, मोटल एवं रिजोर्ट आदि को मनोरजन पर्यटन भू–उपयोग के अन्तर्गत ही वर्गीकृत करते हुये तद्नुसार ही भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारिण किया जाय।

6– उत्तरांचल में पर्यटन एवं सूचना प्रौधोगिकी के विकास को बढ़ावा देने को दृष्टिगत रखते हुय एवं क्षेत्र के पर्यावरण एवं पारिस्थतिकीय को भी संरक्षित रखे जाने हेतु यह आवश्यक है कि भूमि की उपलब्धता एवं इसपर होने वाले निर्माण में परस्पर संतुलन बनाये रखे जाने के लिए महायोजना के लिए सक्रिय उपयोग क्षेत्र समुनिर्देशित प्रसार क्षेत्र, नगर निगम, पालिका परिषद, नगर पंचाय क्षेत्र के बाहर स्थित भूमि पर भू–उपयोग परिवर्तन प्रस्ताव की अनुमन्यता के सम्बन्ध में यदि आवश्यक हुआ तो सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से भी परीक्षण कराया जा सकेगा।

7– चूंकि मल्टीप्लेक्सेस के क्रिया क्लाप भी सिनेमा व व्यवसायिक प्रकृति के होते है अतः मल्टीप्लेक्सेस को भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क हेतु पर्यटन की श्रेणी में वर्गीकृत न करते हुय उसे व्यवसायिक श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है।

8– सक्रिय नगरीय भू–उपयोग अथवा महायोजना में प्रस्तावित विभिन्न उपयोगो के भू–उपयोग परिवर्तन हेतु विचाराधीन प्रकरण पर न्यूनतम आवश्यक क्षेत्रफल का निर्धारण प्रभावी उपविधियो/विनिमियों के अनुसार किया जायेगा।

9– व्यक्तिगत आवासीय भू खण्ड जिसका क्षेत्रफल कम होता है पृथक से भू–उपयोग में सृजित नही किया जा सकता है। अतः इस हेतु भू–उपयोग परिवर्तन शासनादेश के अनुसार किया जाना

3— उक्त में वर्णित भू–उपयोग शुल्क का निर्धारिण उस क्षेत्र में भूमि मूल्य जो सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा सर्किल रेट का प्रतिशत होगा, को आवेदक द्वारा प्राधिकरण में जमा कराना होगा, जो सम्पूर्ण भू–खण्ड के क्षेत्रफल पर आगणित किया जायेगा।

4— सामुदायिक सुविधाओं के अन्तर्गत उच्च शैक्षिक के स्थान पर स्पष्टता विश्व विद्यालय अंकित किया जाता है, क्योंकि इस प्रयोजन हेतु भूमि 10 हैक्टेयर न्यनतम निर्धारित है। इसे अन्य सामुदायिक सुविधाओं से आपेक्षाकृत अत्यधिक भूमि की आवश्यकता को दृष्टिगत रखकर भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क को प्रस्तर–2 में अंकित तालिका प्रारूप में विवरणानुसार निर्धारित किया जाता है।

5— विभिन्न मनोरजन एवं पर्यटन सम्बन्धी क्रियाकलापों के पारस्परिक अनुरूपका एवं अनुसांगिक प्रवृत्त को दृष्टिगत रखते हुये हैल्थ–स्पा, ध्यान, एवं योग केन्द्र एम्यूजमैन्ट पार्क, वाटर पार्क, नैचुरल एवं बाटिनिकल पार्क, जीवउद्यान, वानस्पतिक उद्यान, साइरा एवं एडवेन्चर उद्यान, शैल उद्यान, प्लानेटोरियम, नौकायाना क्लब, मत्स्य उद्यान, पर्यटक ग्राम, क्लचरल(शिल्पकला विरासत) सेन्ट्रलर मल्टीप्लैक्स, चिलड्रन थियेटर, म्यूजिम जिमखाना/क्लब हास्पिटल, जिमनेजियम, स्वीमिंग पूल, स्केटिंग रिंग, होटल, मोटल एवं रिजोर्ट आदि को मनोरजन पर्यटन भू–उपयोग के अन्तर्गत ही वर्गीकृत करते हुये तद्नुसार ही भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारिण किया जाय।

6— उत्तरांचल में पर्यटन एवं सूचना प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने को दृष्टिगत रखते हुये एवं क्षेत्र के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय को भी संरक्षित रखे जाने हेतु ये आवश्यक है कि भूमि की उपलब्धता एवं इसपर होने वाले निर्माणों में परस्पर संतुलन बनाये रखे जाने के लिए महायोजना के लिए सक्रिय उपयोग क्षेत्र समुनिर्देशित प्रसार क्षेत्र, नगर निगम, पालिका परिषद, नगर पंचाय क्षेत्र के बाहर स्थित भूमि पर भू–उपयोग परिर्वतन प्रस्ताव की अनुमन्यता के सम्बन्ध में यदि आवश्यक हुआ तो सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से भी परीक्षण कराया जा सकता है।

7— चूंकि मल्टीप्लेक्सेस के क्रिया कलाप भी सिनेमा व व्यवसायिक प्रकृति के होते हैं। अतः मल्टीप्लेक्सेस को भू–उपयोग परिर्वतन शुल्क हेतु पर्यटन की श्रेणी में वर्गीकृत न करते हुये उसे व्यवसायिक श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है।

8— सक्रिय नगरीय भू–उपयोग अथवा महायोजना में प्रस्तावित विभिन्न उपयोगों के भू–उपयोग परिर्वतन हेतु विचाराधीन प्रकरण पर न्यूनतम आवश्यक क्षेत्रफल का निर्धारण प्रभावी उपविधियों/विनिमियों के अनुसार किया जायेगा।

9— कतिपय आवासीय व अन्य जिसका क्षेत्रफल कम होता है पृथक से भू–उपयोग में सृजित नही किया जा सकता है। अतः इस हेतु भू–उपयोग परिर्वतन शासनादेश के अनुसार किया जाना

व्यवहारिक नहीं होगा, तथा सामुहिक रूप से सम्बन्धित प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा शासन को संदर्भित किये जाते है तो तकनीकि परीक्षण करना पृथक से शासनादेश द्वारा निस्तारण किया जायेगा।

10— प्रदेश के मान्यताप्राप्त पत्रकारों को कृषि से आवासीय में भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क [illegible] प्रतिशत की दर से निम्न लिखित शर्तों के अधीन देय होगा।

क— प्रदेश के मान्यताप्राप्त पत्रकारों को उपरोक्त सुविधा मात्र एक बार के लिए ही अनुमन्य होगी।

ख— उपरोक्त सुविधा का लाभ ऐसे पत्रकारों के लिए 500 वर्ग मीटर तक के भूखण्डों के लिए ही अनुमन्य होगा।

ग— उपरोक्त सुविधा का लाभ लेकर परिवर्तन कराये गये भूखण्डों को 10 वर्षो तक हस्तान्तरित/विक्रय नहीं किया जा सकेगा।

घ— उपरोक्त सुविधा का लाभ इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिनियमों/सुसंगत विनियमों एवं उपनियमों के अधीन ही दिया जा सकेगा।

11— सामान्यता प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के ले–आउट में आवासीय सामुदायिक सुविधा खुला/वृक्षारोपित क्षेत्र की उपयोग हेतु भू–खण्डों का प्राविधान अनुसागिक प्रयोग के रूप में उपलब्ध रहता है। अतः औद्योगिक उपयोग को संरक्षित करने के दृष्टि से इन उपयोगों की भूमि में परिवर्तन हतोत्साहित किया जाना उचित है। यद्यपि क्षेत्र विशेष में ऐसी उपयोगों की अपरिहार्यता को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण में वांछनानुसार यदि सामुदायिक सुविधाओं में भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने से उत्तरांचल शासन के उद्योग विभाग से अनापत्ति प्राप्त होती है, उस स्थिति में ही विचार किया जा सकता है, इस प्रकार इसे आशिक प्रतिबन्धों के अधीन करते हुये ऐसे उपयोग पर भू खण्ड के सर्किल रेट का न्यूनतम 15 प्रतिशत परिवर्तन शुल्क रोपित किया जायेगा।

12— उत्तरांचल में औद्योगिक विकास निगम (सिडकुल) द्वारा विकसित किये गये औद्योगिक क्षेत्र के सम्बन्ध में यदि भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की अन्तिम स्वीकृत उत्तरांचल शासन (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973) अनुकूलन एवं स्थानान्तरण आदेश–2002 की धारा–13 (2) अथवा उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 1986 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 की धारा–12 के अन्तर्गत प्राप्त हो जाती है, तो उसमें पृथक से परिवर्तन शुल्क के रूप में कोई धनराशि अधिरोपित नहीं की जायेगी।

13— **भू–उपयोग परिवर्तन हेतु उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973)** अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश–2002 की धारा–13 (2) अथवा उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र

प्राधिकरण अधिनियम–1986) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश 2002 की धारा–12 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत आपत्तियां एवं प्रस्तावों की प्राप्त हेतु समाचार पत्रों में अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व भू–उपयोग परिर्वतन शुल्क भू स्वामी से सम्बन्धित प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में जमा कराया जायेगा और सम्बन्धित प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र प्राधिकरण में निर्धारित शुल्क जमा कराने की सूचना उपलब्ध करादेने के उपरांत ही भू–उपयोग परिर्वतन से सम्बन्धित अधिसूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों में किया जायेगा।

14– ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माने जायेगे। कृपया इन ओदशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

15– उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–1091/वित्त अनुभाग–3/2005 दिनांक 21 मार्च 2005 में 23 मार्च 2005 ...

भवदीय,

(पी0सी0 शर्मा)
सचिव।

पृ0प0सं0 –1205/ट/आ0–2005,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषत।

1–मण्डलायुक्त, गढ़वाल पौड़ी/कुमाऊं, नैनीताल।

2–समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

3–प्रभारी अधिकारी नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तरांचल देहरादून।

4–गार्ड बुक।

आज्ञा से

(जे0पी0 ओली)
उप सचिव।